

प्रपत्रक

निदेशक,  
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

समाप्त

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक,  
पं० भगवतीदीन द्विवेदी प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र  
गोपीनाथपुर पो० बरिया  
सुल्तानपुर।

मे 570-1345

पत्रांक

विषय-

168/टी-3/स0प0/भा0स0संस्तुति लखनऊ : दिनांक 11.1.2011  
स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निजी औद्योगिक केंद्रों के व्यवसाय/युनिटों का स्थायी सम्बन्धन प्रदान किये जाने के बारे में महा निदेशालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, डी0जी0ई0टी0 नई दिल्ली में गठित उप समिति द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि आपके संस्थान से सम्बन्धित स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 08-07-2011 पर दिनांक 20-09-2011 को महानिदेशालय, सेवायोजन एवं प्रशिक्षण, नई दिल्ली में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् की उप समिति की बैठक सम्पन्न हुई। उप समिति द्वारा आपके संस्थान से सम्बन्धित उक्त निरीक्षण रिपोर्ट के बारे में जो निर्णय लिया गया है, उसका उद्धरण व्यवसायवार नीचे अंकित किया जा रहा है:-

क्रम सं०	व्यवसाय/एकक जिनके लिए संस्थान/केंद्र द्वारा स्थायी सम्बन्धन का अनुरोध किया गया।		संस्तुति की गयी		अभ्युक्ति
			स्थायी समिति द्वारा	डी0जी0ई0टी0 द्वारा	
1	2	3	4	5	
1-	Fitter	02(1+1)	02(1+1)	02(1+1)	SCIR-8/07/11 W.e.f. Aug 2011 *The bill of general machinery & equipments as well as the license of the software are not enclosed. S/D to forward the same.
2-	Electrician	02(1+1)	02(1+1)	02(1+1)	
3-	COPA	02(1+1)	02(1+1)	*	

DGET-6/24/240/2011-TC DATED 20/09/2011

प्रयोग किये गये संकेत:-

- (1) एस0सी0आई0आर0-स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट
- (2) एस0आई0आर0-पूरक निरीक्षण रिपोर्ट
- (3) डी0आई0आर0-विभागीय निरीक्षण रिपोर्ट
- (4) यू0सी0-विचाराधीन
- (5) एन0आर0-संस्तुति नहीं किया गया।
- (6) एन0सी0-विचार नहीं किया गया।

2. आपसे अपेक्षा की जाती है कि भारत सरकार द्वारा बतलाई गई कमियां/दुर्घटियों का निराकरण समयावधिगत करके अपनी आख्या विन्मुचर साक्ष्य सहित दो प्रतियां में इस निदेशालय को अधिलम्ब प्रेषित करें। ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

विशेष - यह भी स्पष्ट किया जाना है कि भारत सरकार द्वारा यदि आपके संस्थान को वांछित व्यवसायों को मान्यता प्रदान नहीं की गई है तो आप इन व्यवसायों में प्रवेश न करें। इन अमान्य व्यवसायों के प्रशिक्षार्थियों को आगामी अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जाएगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

भवदीय

अपर निदेशक (प्रशि/शिक्ष)

पत्रांक

/टी-3/स0प0/भा0स0संस्तुति/

तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. संयुक्त निदेशक (प्रशि/शिक्ष) लखनऊ को इस भाष्य से प्रेषित कि वह उपरोक्त विशेष विन्मु पर विशेष ध्यान दें तथा संयुक्त संस्थान/केंद्र को भी अपने स्तर से अवगत करायें।
2. संबंधित संस्थान/केंद्र की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
3. मार्ट फाइल हेतु।
4. उप निदेशक, व्यावसायिक परीक्षा परिषद् अलीगंज, लखनऊ।

(सहूल देय)

अपर निदेशक (प्रशि/शिक्ष)